बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–पि0व0/मु0मेधा0–40–07/2015–24 पटना, दिनांक–30-3-16

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना'' के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवारों के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्ति देने हेतु कुल ₹2747.90 लाख (रूपये सताईस करोड़ सैतालिस लाख नब्बे हजार) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–28 दिनांक–05.08.15 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–33 दिनांक–10.12.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना'' के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवारों के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्तिका के रूप में प्रदान के निमित कुल ₹4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनः बजट उपबंधित कुल ₹2747.90 लाख (रूपये सताईस करोड़ सैतालिस लाख नब्बे हजार) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्यय व्ययक शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा के कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति/वजीफा, राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5461 विपत्र कोड–P2225032770101'' के अधीन विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे।

4– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित छात्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जो वर्ष 2015 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर प्राप्तांक के अनुसार मेधासूची तैयार कर क्रमानुसार, जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र एवं संबंधित छात्रों के अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम

कृ0पृ0उ0